FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT — P.S. (थाना): C.P.S Jaipur — Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0257 — Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 03/10/2025 15:56 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): शनिवार — Date From (दिनांक से): 26/07/2025 — Date To (दिनांक तक): 26/07/2025

Time Period (समय अवधि): पहर — Time From (समय से): 11:00 बजे — Time To (समय तक): 16:24 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 03/10/2025 — Time (समय): 11:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 — Date & Time (दिनांक एवं समय) 03/10/2025 15:56:37 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 35 किमी — Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICAB

(b)Address(पता): POLICE THANA GAJNER, JILA BIKANER

(c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम):

District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): KAN SINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): RAJU SINGH

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1999 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO.12 MOTAWATAN, GRAM PANCHYAT GANGAPURA, KOLAYAT, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO.12 MOTAWATAN, GRAM PANCHYAT GANGAPURA, KOLAYAT, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	SURESH KUMAR MEENA		पिता:MANEERAM MEENA	1. CHAK 2 D.S.M.,GOAN AVM POST KHARBARA,CHHRARGARH,BIANER,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		3,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 3,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 26.07.2025 को समय 11.00 एएम पर श्रीमाऩ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर ने मुझ पुलिस निरीक्षक को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर अपने पास बैठे युवक से मेरा आपसी परिचय करवाते हुए युवक का विवरण ब्यूरो का परिवादी श्री कान सिंह पुत्र राजू सिंह जाति राजपूत, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड नं 12, मोटावतान, ग्रा.पं. गंगापुरा, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर होना बताया। परिवादी श्री कान सिंह द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक को प्रस्तुत किए गए हस्तलिखित प्रार्थना पत्र के संबंध में अति. पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को अग्रतर कार्यवाही हेतु उचित निर्देश प्रदान किए जाकर मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रार्थना पत्र सुपुर्द किया गया। परिवादी श्री कान सिंह को मैं पुलिस निरीक्षक हमराह लेकर अपने कक्ष में उपस्थित हुआ। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया तथा पढकर परिवादी को सुनाया गया। परिवादी ने हस्तलिखित प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर सहमति प्रकट की तथा पूछने पर प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा अपने हस्तलेख में होना बताया। प्रार्थना विवरण निम्न प्रकार से है- "सेवा में श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चौकी बीकानेर विषय श्री सुरेश मीणा - हैड कांस्टेबल द्वारा एमपीआर जांच के दौरान जब्त मेरी मोटरसाइकिल को छोड़ने के नाम पर 30,000 रुपये रिश्वत मांगने पर ट्रैप कार्यवाही करवाने के संबंध में। महोदय, श्रीमानजी निवेदन है कि मैं भड़ला, तहसील फलौदी स्थित के.ई.सी. कंपनी में सोलर प्लांट में काम करता हूं। हमारे परिवार में मेरे माता-पिता, दो भाई, दो बहनें हैं। हमारा गांव मोटावतान, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर है। श्री गणेश सिंह मेरा छोटा भाई है जो कि मजदूरी का काम करता है। पुलिस थाना गजनेर में एक व्यक्ति श्री आसु सिंह पुत्र अमर सिंह निवासी गोयलरी, राहड़ों की ढाणी, पुलिस थाना गजनेर, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर द्वारा अपनी भतीजी लक्ष्मी कंवर पुत्री पप्पू सिंह को लेकर एम.पी. आर. नं. 11/2025 दर्ज करवाई थी जिसकी जांच श्री सुरेश कुमार मीणा हैड कांस्टेबल 4004 द्वारा की जा रही है। श्री लक्ष्मी कंवर को बहला-फुसला कर ले जाने के संबंध में पुलिस थाना गजनेर पर एक मुकदमा सं. 59/2025 भी दर्ज है जिसकी जांच अधिकारी श्री अब्दुल सत्तार हैड कांस्टेबल हैं। लक्ष्मी कंवर वर्तमान में मेरे भाई गणेश सिंह के साथ ही लिवइन रिलेशनशिप में रह रही है तथा लिव इन में रहने का सर्टिफिकेट भी बनवा रखा है। इस संबंध में हाईकोर्ट से भी सुरक्षा के लिए याचिका लगाई जाकर आदेश प्राप्त किए थे। श्री सुरेश मीणा -हैड कांस्टेबल द्वारा लक्ष्मी कंवर को जांच के दौरान उपखंड अधिकारी कोलायत के पास ले जाकर बयान भी करवाए थे जिसमें लक्ष्मी कंवर ने बालिग होना तथा मेरे भाई गणेश सिंह के साथ लिवइन रिलेशनशिप में रहना दर्ज करवाया था। श्री सुरेंश मीणा-हैड कांस्टेबल द्वारा एम.पी.आर. जांच आदि के दौरान श्री आसु सिंह व पप्पू सिंह के कहने पर मेरे भाई श्री गणेश सिंह, मेरे व मरे परिवार तथा मुझे लगातार परेशान किया जा रहा है। श्री सुरेश मीणा-हैड कांस्टेबल द्वारा एम.पी.आर. नं. 11/2025 में जांच के नाम पर मुझे पुलिस थाना गजनेर में दिनांक 12.07.2025 को लाकर 170 बी.एन.एस.एस. में गिरफ्तार कर लिया गया जिसमें मुझे पाबंद करके छोड़ दिया गया। उसके बाद श्री सुरेश मीणा-हैड कांस्टेबल द्वारा हमारी हीरो कंपनी की मोटरसाइकिल संख्या आरजे 07 एलएस 6369 को भी जांच के नाम पर दिनांक 13.07.2025 को मेरे भाई श्री गणेश सिंह सहित सावंतसर के पास से जब्त करके गजनेर थाने पर लाया गया। गणेश सिंह को जांच करके छोड़ दिया परंतु मोटरसाइकिल को अभी भी अवैध ढंग से थाने पर खड़ा कर रखा है। इसके अलावा एक-डेढ महीने पहले मेरे भांजे कानू सिंह निवासी छीला कश्मीर, तहसील बज्जु के मोबाइल फोन को भी श्री सुरेश मीणा-हैड कांस्टेबल ने जांच के नाम पर अपने पास अवैध रुप से जब्त करके रख रखा है। मैं मेरी बहन श्रीमती लिछमा कंवर उर्फ लक्ष्मी कंवर पत्नी श्री स्वरुप सिंह निवासी मुसलमानों का मोहल्ला, गजनेर तहसील कोलायत के कहने पर उसकी मोटरसाइकिल को लेने तथा मेरे भांजे कानू सिंह के कहने पर उसका मोबाइल फोन लेने के लिए दिनांक 24.07.2025 को गजनेर थाने पर गया तो श्री सुरेश मीणा -हैड कांस्टेबल ने मुझसे मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन छोड़ने के बदले में 30,000 रुपये रिश्वत की मांग की तथा लक्ष्मी कंवर पुत्री पप्पू सिंह के के पहनी हुई चांदी की पायल लेकर आने के लिए मुझे कहा था। मेरे काफी निवेदन करने पर भी रिश्वत व पायल नहीं देने पर श्री सुरेश मीणा ने मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन मुझे लौटाने से इंकार कर दिया है। मैंने यह बात मेरी बहन तथा मेरे भांजे को बताई तो उन्होंने मुझे श्री सुरेश मीणा- हैड कांस्टेबल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर से ट्रैप कार्यवाही करवाने के लिए कहा है। इसलिए मैं श्री सुरेश मीणा-हैड कांस्टेबल को किसी प्रकार की रिश्वत व अन्य सामान नहीं देना चाहता हूं तथा उसको आपकी चौकी से

कार्यवाही करवाकर रंगे हाथों ट्रैप करवाना चाहता हूं। दिनांक 26.07.2025 प्रार्थी एस.डी. कान सिंह कान सिंह पुत्र राजू सिंह निवासी वार्ड नं 12, मोटावतान, ग्रा.पं. गंगापुरा, त. कोलायत, जिला बीकानेर मोबाइल नंबर [redacted] पूछताछ में परिवादी श्री कान सिंह ने बताया कि मोटरसाइकिल नंबर आरजे 07 एलएस 6369 तथा मोबाइल फोन की एम.पी.आर. जांच या मुकदमे में जब्ती करने का कोई सबूत हमें नहीं दिया गया है तथा उक्त मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन को थाने से सीधे ही मुझको रिश्वत के बदले में सुपुर्द कर देने का आश्वासन दिनांक 24.07.2025 को श्री सुरेश मीणा-हैड कांस्टेबल ने दिया था। मैंने रिश्वत राशि अधिक होने का उनको कहा तो उन्होंने मुझे रिश्वत राशि में रियायत कर देने की बात भी कही थी। परिवादी का आधार कार्ड, परिवादी को एम.पी.आर. जांच में गिरफ्तार करने संबंधी नकल रपट रोजनामचा आम व गिरफ्तारी संबंधी दस्तावेज, उपखंड अधिकारी कोलायत में संपन्न कार्यवाही व बयान दस्तावेज, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 59/2025 पु.था. गजनेर की प्रमाणित प्रति, मोटरसाइकिल का पंजीयन दस्तावेज, लिवइन रिलेशनशिप संबंधी दस्तावेज, हाईकोर्ट आदेश संबंधी स्व प्रमाणित दस्तावेजों की प्रति प्राप्त की जाकर अवलोकन पश्चात् शामिल कार्यवाही दस्तावेज की गई। परिवादी श्री कान सिंह से उसकी बहन श्रीमती लक्ष्मी कंवर उर्फ लिछमा कंवर पत्नी स्वरुप सिंह व उसके भांजे कानू सिंह की ओर से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से कार्यवाही करवाने के संबंध में अधिकार/सहमति पत्र चाहा जाने पर परिवादी ने बताया कि मैं एक-दो दिन में उनकी ओर से इस संबंध में अधिकार/सहमति पत्र प्रस्तुत करवा दूंगा। प्रार्थना पत्र में परिवादी श्री कान सिंह के लिखित तथ्यों, पूछताछ व प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कानि. 4004 पुलिस थाना गजनेर, जिला बीकानेर द्वारा परिवादी श्री कान सिंह से उसकी बहन श्रीमती लक्ष्मी कंवर उर्फ लिछमा कंवर पत्नी स्वरुप सिंह की मोटरसाइकिल व भांजे श्री कानू सिंह का मोबाइल फोन पुलिस थाना गजनेर से छोड़ने के बदले में 30,000 रुपये रिश्वत की मांग करना तथा लक्ष्मी कंवर पुत्री पप्पू सिंह के पहनी हुई चांदी की पायल लेकर आने का कहना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की परिधि में आना प्रथम दृष्टया पाया रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाया जाना तय किया गया। समय 01.00 पीएम पर परिवादी श्री कान सिंह को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही की आवश्यकता एवं प्रक्रिया समझाई गई। परिवादी ने बताया कि मैं आज ही पुलिस थाना गजनेर पहुंचकर श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कांस्टेबल 4004 द्वारा हमारे मोटरसाइकिल तथा मोबाइल फोन को थाने से छोड़ने के बदले में मांगी जा रिश्वत व पायल की मांग का सत्यापन करवा सकता हूं। समय 01.20 पीएम पर श्री राजेंद्र नाई, हैड कानि. 127 को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर मौजूदा परिवादी से आपसी परिचय करवाकर परिवादी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया, परिवादी व आरोपी के मध्य वार्ता के दौरान की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। परिवादी को बताया गया कि रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही ब्यूरो कर्मी श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. की सहायता से करवाई जानी है। तत्पश्चा्त् श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. को मालखाना से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर/डीवीआर मय सील्ड मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करने के निर्देश पर श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया सील्ड मेमोरी कार्ड मालखाना से प्राप्त कर प्रस्तुत किया। परिवादी श्री कान सिंह व श्री राजेंद्र नाई हैड कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही व डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में वार्ताएं रिकॉर्ड करने हेतु इसे चालू व बंद करने की प्रक्रिया से समझाया गया। समय 01.30 पीएम पर श्री राजेंद्र नाई हैड कानि. को रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु डीवीआर मय पृथक् से एक नया सील्ड मेमोरी कार्ड फर्द सुपुर्दगी द्वारा दिया जाकर निर्देशित किया गया कि आप परिवादी के साथ परिवादी के बताए अनुसार पुलिस थाना गजनेर के पास पहुंचकर गोपनीयता रखते हुए सील्ड मेमोरी कार्ड खोलकर डीवीआर में स्थापित कर आरोपी के द्वारा की जा रही रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही करवाएं। हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। समय 01.40 पीएम पर श्री राजेंद्र नाई हैड कानि. को मय डीवीआर व एक नया सील्ड मेमोरी कार्ड उचित निर्देश प्रदान कर परिवादी श्री कान सिंह के साथ ब्यूरो चौकी से पुलिस थाना गजनेर के लिए रवाना किया गया। समय 04.28 पीएम पर इस समय श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि "ब्यूरो चौकी से प्राइवेट साधन से रवाना होकर गजनेर पहुंचा। अत्यधिक वर्षा के कारण गजनेर पहुंचने में विलंब हुआ। पुलिस थाना गजनेर के पास स्थित परिवादी श्री कान सिंह की बहन श्रीमती लिछमा कंवर उर्फ लक्ष्मी कंवर के निवास स्थान पर पहुंचकर उनकी ओर से श्री कान सिंह के पक्ष में ए.सी.बी. से आरोपी श्री सुरेश कुमार मीणा हैड कांस्टेबल के विरुद्ध कार्यवाही करवाने संबंधी जारी अधिकार पत्र प्राप्त किया गया। तत्पश्चात् डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर/डीवीआर में नया सील्ड मेमोरी कार्ड खोलकर स्थापित किया जाकर खाली होना चैक किया। परिवादी श्री कान सिंह को डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड में ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू की जाकर डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड परिवादी को सुपुर्द किया तथा रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु परिवादी को पुलिस थाना गजनेर के लिए कुछ समय पूर्व में रवाना किया गया है, गोपनीयता के दृष्टिगत परिवादी से कुछ दूरी पर तैनात हूं।" समय 05.14 पीएम पर श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि "परिवादी कुछ समय पूर्व निर्धारित गोपनीय स्थान पर मेरे पास लौटकर आया है जिससे मैंने डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को प्राप्त किया जाकर चालू ऑडियो रिकॉर्डिंग को बंद कर अपने पास सुरक्षित रख लिया है।" श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. ने उक्त दूरभाष वार्ता की निरंतरता में परिवादी श्री कान सिंह से मुझ पुलिस निरीक्षक की वार्ता करवाई जिसमें परिवादी ने बताया कि "श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. से डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड प्राप्त किया जाकर मैं पुलिस थाना गजनेर पर पहुचा था, आरोपी श्री सुरेश कुमार मीणा- हैड

कांस्टेबल मुझे थाने पर उपस्थित मिले थे। मैंने श्री सुरेश कुमार मीणा जी से मेरे भांजे का मोबाइल फोन मांगा तो उन्होंने मुझसे फोन छोड़ने के बदले में 3000 रुपये रिश्वत के प्राप्त कर लिए तथा मुझे आलमारी से निकालकर फोन देना चाहा तो उनको अपनी आलमारी की चाबी नहीं मिली, इस पर उन्होंने मुझे कल थाने पर आकर फोन ले जाने का कहा है। मैंने उनसे मोटरसाइकिल लौटाने के लिए निवेदन किया तो उन्होंने बिना लाईसेंस चालान के 10,000 रुपये जुर्माना जमा करवाने की बात कही थी। इसके अलावा श्री सुरेश कुमार जी ने पायल लौटाने की बात पर पर चर्चा की थी। इस पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से रिश्वत आदान-प्रदान के कारण के बारे में पूछा तो परिवादी ने बताया कि श्री सुरेश कुमार मीणा- हैड कांस्टेबल ने वार्ता के दौरान मेरे बटुए में रुपये देख लिए थे इसलिए आरोपी द्वारा मांगने पर पास में रुपये होने की बात से इंकार करना संभव नहीं था। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को उक्त वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने की कार्यवाही के बारे बताते हुए ब्यूरो चौकी पर उपस्थिति चाही गई तो परिवादी ने गांव जाना आवश्यक बताया तथा अगले दिन दिनांक 27.07.2025 को ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हो जाने की बात बताई। परिवादी श्री कान सिंह को उचित निर्देश प्रदान किए गए व गांव जाने की अनुमति प्रदान की गई। श्री राजेंद्र-हैड कानि. को ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किए गए। समय 06.35. पी.एम. पर श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सहित ब्यूरो चौकी पर मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ। श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. ने रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही में प्रयुक्त डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही संबंधी विवरण को मुझ पुलिस निरीक्षक को दोहराया। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा डीवीआर में स्थापित मेमोरी कार्ड में रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी रिकॉर्ड ऑडियो क्लिप को चैक किया जाने पर मेमोरी कार्ड में रिकॉर्डिंग होनी पाई गई तथा उक्त रिकॉर्डिंग को सुनने पर प्रथम दृष्टया परिवादी श्री कान सिंह के बताए अनुसार विवरण की वार्ता होनी पाई गई। डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड की उक्त ऑडियो रिकॉर्डिंग को कार्यालय कंप्यूटर पर चैक किया जाने पर निम्नलिखित विवरण होना पाया गया- S. N. FILE NAME DATE AND TIME OF CREATION dd-mm-yyyy hhmm (24 Hrs) HASH VALUE (SHA-256) 1 250726_1624 26-07-2025 1624 b8a40cdc88495be1c85ecb395ec5c39a8215ed8693471e3369061f8af95b0bc0 डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को कार्यालय कंप्यूटर से निकाला जाकर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा आलमारी में स्वयं के पास सुरक्षित रखा। श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. ने परिवादी श्री कान सिंह के पक्ष में ए.सी.बी. कार्यवाही हेतु परिवादी की बहन श्रीमती लिछमा उर्फ लक्ष्मी कंवर उर्फ लिछमा कंवर की ओर से जारीशुदा एक अधिकार पत्र मय आधार कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार गजनेर से रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही के दौरान प्राप्त किया हुआ मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जिसे अवलोकन किया जाकर शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया। श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा कक्ष से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। दिनांक 27.07.2025 समय 11.50 ए.एम. पर श्री कान सिंह ब्यूरो कार्यालय पर मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वयं के पास सुरक्षित रखे हुए कार्यवाही में प्रयुक्त डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. की सहायता से कार्यालय कंप्यूटर पर लगाया जाकर परिवादी को दिनांक 26.07.2025 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता सुनाई गई। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता में आए तथ्यों के आधार पर रिश्वत की मांग अस्पष्ट प्रकार की, वार्ता में परिवादी के लंबित कार्य के संबंध में स्थिति अस्पष्ट, परिवादी के बताए अनुसार आरोपी द्वारा सत्यापन वार्ता के दौरान मोबाइल फोन लौटाने की ऐवज में "तीन तो दे" कहकर 3000 रुपये परिवादी से प्राप्त करना, अन्य पक्ष के लिए पायल लौटाने संबंधी बात करना पाया गया। इसके अलावा मोटरसाइकिल छोड़ने के बारे में भी आरोपी ने बिना लाईसेंस चालान आदि बातें परिवादी से कही गई हैं। परिवादी से सत्यापन वार्ता के दौरान सिम कार्ड की चर्चा के बारे में पूछने पर परिवादी ने बताया कि "मेरा मोबाइल फोन व दो सिम कार्ड मेरी गिरफ्तारी दिनांक 12.07.2025 से पुलिस थाने पर आरोपी श्री सुरेश कुमार मीणा के पास रखे हुए थे। मोबाइल फोन को मैंने दिनांक 14.07.2025 को आरोपी श्री सुरेश कुमार मीणा से प्राप्त कर लिया था परंतु सिम कार्ड प्राप्त नहीं किए थे जो कि मैंने दिनांक 26.07.2025 को श्री सुरेश कुमार मीणा से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान प्राप्त कर लिए थे।" परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया गया कि मैं उक्त वार्ता के दौरान थाने में काफी घबरा गया था इसलिए आरोपी से ठीक प्रकार से लंबित काम व रिश्वत संबंधी वार्ता नहीं कर पाया था। परिवादी ने बताया "आरोपी ने मुझे मोबाइल फोन लौटाने के लिए आज थाने बुलाया हुआ है। मैं आज पुनः आरोपी से मिलकर उक्त अस्पष्ट तथ्यों पर पुनः सत्यापन करवाकर स्थिति स्पष्ट करवा सकता हूं।" हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए व कार्यवाही को लेकर विचार विमर्श किया गया। परिवादी के बताए अनुसार अस्पष्ट तथ्यों पर पुनः रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही किया जाना तय किया गया। डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड कार्यालय कंप्यूटर से पृथक् किया जाकर स्वयं के पास सुरक्षित रखा गया। रिकॉर्ड वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही पुनः रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता पश्चात् किया जाना तय किया गया। परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि आरोपी ने मुझे कॉल करके थाने आने के लिए कहा था, इसलिए आरोपी के पास कॉल करके जाना उचित होगा। अतः समय 02.37 पी.एम. पर परिवादी द्वारा अपने मोबाइल नंबर [redacted] से आरोपी श्री सुरेश कुमार मीणा- हैड कानि. के मोबाइल नंबर [redacted] पर कॉल लगाकर थाने आने के लिए पूछा तो आरोपी ने परिवादी

को मोबाइल फोन लौटाने के लिए चाबी उपलब्ध नहीं होना बताया तथा दो घंटे बाद थाने पर आने के लिए कहा। परिवादी को उचित निर्देश प्रदान किए गए। समय 03.50 पी.एम. पर श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. को कार्यवाही में प्रयुक्त डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड जरिये फर्द सुपुर्द किया जाकर परिवादी श्री कान सिंह सहित पुनः रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही हेतु पुलिस थाना गजनेर के लिए रवाना किया गया। समय 05.23 पी.एम. पर श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. ने मुझ पुलिस निरीक्षक को जरिये दूरभाष बताया कि "ब्यूरो चौकी से प्राइवेट वाहन से रवाना होकर मैं व श्री कान सिंह पुलिस थाना गजनेर के पास गोपनीय स्थान पर पहुंचे। परिवादी के मोबाइल फोन पर आरोपी की मिस्ड कॉल का मैसेज आया हुआ था। इस पर परिवादी द्वारा अपने मोबाइल नंबर से आरोपी के मोबाइल नंबर पर कॉल लगाकर वार्ता की तो आरोपी ने अब तक चाबी उपलब्ध न होने के कारण परिवादी को थाने पर आने से मना कर दिया तथा उसकी आलमारी की चाबी मिल जाने पर कल दिनांक 28.07.2025 को मोबाइल फोन देने हेतु खुद ही कॉल करके बताने की बात परिवादी को कही है।" उक्त दूरभाष कॉल की निरंतरता में मुझ पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री कान सिंह से वार्ता की गई तो परिवादी ने भी उक्त तथ्य दोहराए। परिवादी को दिनांक 26.07.2025 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु ब्यूरो चौकी पर उपस्थित आने के निर्देश दिए गए तो परिवादी ने बताया कि "अब काफी समय हो चुका है मुझे मेरे गांव पहुंचना आवश्यक होता है, मैं कल दिनांक 28.07.2025 को उक्त कार्यवाही हेतु उपलब्ध हो जाउंगा।" मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. को डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सहित ब्यूरो चौकी लौटने के निर्देश दिए गए। समय 06.25 पी.एम. पर श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सहित ब्यूरो चौकी पर मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ। श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. ने डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर ब्यूरो चौकी से प्रस्थान पश्चात् संपन्न घटनाक्रम को मुझ पुलिस निरीक्षक को दोहराया। डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा आलमारी में स्वयं के पास सुरक्षित रखा। श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा कक्ष से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। परिवादी के बताए अनुसार आरोपी श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कांस्टेबल द्वारा दिनांक 28.07.2025 को कभी भी परिवादी को कॉल करके थाने पर बुलाया जा सकता था। इसलिए दिनांक 28.07.2025 समय 09.15 ए.एम. पर पर श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. को डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड जरिये फर्द सुपुर्द किया जाकर ब्यूरो चौकी से गजनेर के लिए रवाना किया गया। श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. व परिवादी श्री कान सिंह से जरिये दूरभाष वार्ता होती रही। समय 02.00 पी.एम. पर श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. ने बताया कि "मैंने ब्यूरो चौकी से निजी वाहन से रवाना होकर गजनेर पहुंचकर परिवादी श्री कान सिंह से संपर्क किया था। मैं व परिवादी श्री कान सिंह सुबह से गजनेर में गोपनीय स्थान पर रुके हुए हैं, आरोपी श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कांस्टेबल द्वारा अपनी ओर से अब तक परिवादी से कोई संपर्क नहीं किया है।" परिवादी ने मुझ पुलिस निरीक्षक को वार्ता में बताया कि "मैंने अपने मोबाइल नंबर से आरोपी के मोबाइल नंबर पर कई बार कॉल लगाकर संपर्क करना चाहा तो आरोपी का मोबाइल फोन स्विच ऑफ होना पाया गया है। किसी प्रकार के संदेह की संभावना के बारे में परिवादी से पूछने पर परिवादी ने बताया कि मैं आज गजनेर बस से उतरा था तो मुझे पुलिस थाना गजनेर का एक कांस्टेबल मिला था जिसके पूछने पर मैंने उसको मेरे काम से थाने पर जाने की बात बताई थी।" परिवादी ने बताया कि मैं उस समय अकेला था तथा उक्त बातचीत सामान्य ढंग से ही हुई थी। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री कान सिंह तथा श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. को गजनेर में ही रुककर आरोपी के कॉल की प्रतीक्षा करने के निर्देश प्रदान किए गए। समय 04.54 पी.एम. पर श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. से जरिये दूरभाष वार्ता हुई तथा परिवादी श्री कान सिंह से वार्ता करवाई गई। परिवादी श्री कान सिंह ने बताया कि "आरोपी का मोबाइल नंबर अब तक बंद ही था। कुछ मिनट पहले मेरे जीजाजी श्री स्वरुप सिंह के मोबाइल नंबर पर एक अज्ञात नंबर [redacted] से कॉल करके श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कांस्टेबल ने उनको थाने पर बुलाया है, मेरे जीजाजी ने मुझे थाने पर भेज देने के लिए उनसे पूछा तो उन्होंने मेरे लिए मना कर दिया तथा केवल मेरे जीजाजी को ही थाने पर आने के लिए कहा है, मैं तथा श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. मेरे जीजाजी के निवास स्थान पर मौजूद हैं।" इस पर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी से वार्ता करते हुए आरोपी को कार्यवाही के संबंध में किसी प्रकार का संदेह हो जाने की संभावना अथवा उनके जीजा श्री स्वरुप सिंह से कोई जांच या अनुसंधान कार्यवाही हेतु आरोपी द्वारा थाने पर बुलाए जाने की संभावनाओं पर विचार विमर्श किया गया। परिवादी के जीजा को आरोपी के विरुद्ध जारी ए.सी.बी. कार्यवाही की जानकारी होने के बारे में पूछने पर परिवादी ने बताया कि "मैंने ए.सी.बी. कार्यवाही के संबंध में मेरी बहन श्रीमती लक्ष्मी कंवर के अलावा किसी से कोई चर्चा नहीं की है तथा मेरी बहन ने भी मेरे जीजा से कोई चर्चा नहीं की थी।" परिवादी ने विचार विमर्श के दौरान मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि "श्री स्वरुप सिंह को थाने पर भेजा जाने पर ही वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त हो सकती है, मना करने के बाद भी स्वरुप सिंह के साथ मेरे थाने पर जाने से आरोपी की प्रतिक्रिया का अनुमान लगाया जाना संभव नहीं है। इसलिए केवल श्री स्वरुप सिंह जी को ही थाने भेजा जाकर वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त किया जाना उचित होगा।" इस पर परिवादी के बताए अनुसार उसके जीजा श्री स्वरुप सिंह को थाने जाने की अनुमति प्रदान की गई। हालात निरंतर अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। समय 05.48 पी.एम. पर श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. से जरिये दूरभाष वार्ता हुई तथा बताया कि "गत वार्ता पश्चात् श्री स्वरुप सिंह को पुलिस थाना

गजनेर पर भेजा गया था जो कि लौटकर वापस अपने निवास स्थान पर हमारे पास आए हैं। वे अपने साथ एक मोटरसाइकिल नंबर आरजे 07 एलएस 6369 तथा एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन साथ लेकर आए हैं जिसकी फोटोग्राफ खिंचवाए जाकर व्हाट्सऐप द्वारा प्रेषित किए जा रहे हैं।" परिवादी श्री कान सिंह ने अपने जीजा श्री स्वरुप सिंह से वार्ता करके मुझ पुलिस निरीक्षक को बताया कि "श्री स्वरुप सिंह के थाने जाने पर श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कांस्टेबल उपस्थित मिला था जिन्होंने एमपीआर जांच संबंधी लड़की लक्ष्मी कंवर के परिजनों को भी बुलाया हुआ था। श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कांस्टेबल ने मेरे जीजा श्री स्वरुप सिंह से एक कंप्यूटर से प्रिंटेड कागज पर अंगूठा निशान लगवाए जाकर हमारी मोटरसाइकिल संख्या आरजे 07 एलएस 6369 तथा एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन मेरे जीजाजी को सुपुर्द करके थाने से रवाना कर दिया था, मोटरसाइकिल जब्ती या चालान संबंधी कोई जुर्माना राशि मेरे जीजाजी से थाने पर प्राप्त नहीं की गई, न कोई रसीद अथवा कागज मेरे जीजाजी को थाने से दिया गया है। इसी प्रकार श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कांस्टेबल ने थाने पर उपस्थित लक्ष्मी कंवर के परिजनों को भी उनका सामान सुपुर्द करने की कार्यवाही मेरे जीजाजी से पहले कर दी थी।" परिवादी ने बताया कि अब मोटरसाइकिल व मोबाइल हमारी सुपुर्दगी में है। परिवादी ने बताया कि मैं मोटरसाइकिल तथा मोबाइल फोन संबंधी फोटोग्राफ आपको जरिये व्हाट्सऐप संदेश प्रेषित कर रहा हूं। परिवादी ने बताया कि उपर्युक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत आरोपी को किसी कारण से मुझ पर शक हो जाने की संभावना लग रही है। इसलिए अब आरोपी से संपर्क किया जाना उचित नहीं होगा तथा अब आगे कार्यवाही की संभावना नहीं है। ट्रांसक्रिप्ट आदि कार्यवाही के लिए परिवादी को अगले दिन दिनांक 29.07.2025 को उनके भांजे श्री कानू सिंह तथा जीजा श्री स्वरुप सिंह सहित ब्यूरो चौकी पर उपस्थित होने के निर्देश प्रदान किए। अब तक के हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। समय 06.21 पी.एम. पर परिवादी श्री कान सिंह के जीजा श्री स्वरुप सिंह द्वारा आरोपी श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कांस्टेबल से पुलिस थाना गजनेर से प्राप्त कर लाए गए मोटरसाइकिल संख्या आरजे 07 एलएस 6369 तथा एक मोबाइल फोन लावा मॉडल एलजैडएक्स411 के फोटोग्राफ परिवादी द्वारा अपने व्हाट्सऐप नंबर [redacted] से मुझ पुलिस निरीक्षक के व्हाट्सऐप नंबर [redacted] पर श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. की उपस्थिति में भेजे गए। श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. को ब्यूरो चौकी पर लौटने के निर्देश दिए गए। समय 07.25 पी.एम. पर श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड सहित ब्यूरो चौकी पर मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुआ। श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. ने डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड मुझ पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर ब्यूरो चौकी से प्रस्थान पश्चात् संपन्न घटनाक्रम को मुझ पुलिस निरीक्षक को दोहराया। डीवीआर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा आलमारी में स्वयं के पास सुरक्षित रखा। श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. को मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा कक्ष से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। हालात अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को निवेदन किए गए। दिनांक 29.07.2025 समय 10.20 ए.एम. पर श्री कान सिंह अपने जीजा श्री स्वरुप सिंह के साथ ब्यूरो चौकी पर मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष उपस्थित हुए। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री स्वरुप सिंह को अपना परिचय दिया जाकर परिचय लिया गया। परिवादी ने बताया कि मेरा भांजा श्री कानू सिंह जैसलमेर होने के कारण आज बीकानेर उपस्थित नहीं हो सका तथा एक-दो दिन में ए.सी.बी. चौकी बीकानेर पर उपस्थित हो जाएगा। परिवादी द्वारा मुझ पुलिस निरीक्षक को दिनांक 28.07.2025 को व्हाट्सऐप नंबर से मोटरसाइकिल तथा मोबाइल फोन संबंधी भेजे गए फोटोग्राफ का मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रिंट लिया जाकर परिवादी श्री कान सिंह तथा श्री स्वरुप सिंह को अवलोकन करवाया जाकर हस्ताक्षर व अंगूठा निशान प्राप्त किए गए। श्री स्वरुप सिंह का आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जाकर शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया। श्री कान सिंह तथा श्री स्वरुप सिंह सहित मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा अति. पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता की गई। श्री स्वरुप सिंह ने बताया कि "कल दिनांक 28.07.2025 को मेरे पास गजनेर थाने के सामने स्थित चाय की दुकान संचालक के मोबाइल नंबर 9571578244 से श्री सुरेश कुमार मीणा- हैड कांस्टेबल ने मेरे मोबाइल नंबर 9145811250 पर समय 04.48 पी.एम. पर कॉल करके मुझे पुलिस थाना गजनेर पर आने के लिए बोला था, मैंने मेरे साले श्री कान सिंह को थाने पर भिजवा देने के लिए पूछा तो उन्होंने केवल मुझे ही थाने पर आने के लिए कहा था। इस पर मैं थाने पहुंचा तो पूर्व में गुमशुदा बालिका लक्ष्मी कंवर के परिजनों को भी श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कांस्टेबल ने थाने पर बुलाया हुआ था। श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कांस्टेबल ने पहले लक्ष्मी कंवर के परिजनों को लक्ष्मी कंवर का कुछ चांदी का सामान लौटाया जाने के बाद हमारी मोटरसाइकिल नंबर आरजे 07 एलएस 6369 व कानू सिंह का मोबाइल फोन मुझे सुपुर्द किया था तथा कंप्यूटर से प्रिंट लेकर दो कागजों पर मेरे अंगूठा निशान प्राप्त किए थे।" श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कांस्टेबल ने मुझे बताया था कि मैं 5-7 दिन के लिए थाने से बाहर जा रहा हूं मुझे ज्यादा दिन भी लग सकते हैं, आप मुझे फिर बार-बार कॉल करोगे इसलिए मैं यह मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन आपको सुपुर्द कर रहा हूं। इसके बाद मैं थाने से मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन लेकर रवाना हो होकर मेरे घर पर कान सिंह तथा श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. के पास पहुंचा था और उनको सारी बात बताई थी। समय 11.55 ए.एम. पर श्री स्वरुप सिंह को ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई। मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार ट्रांसक्रिप्ट कार्यवाही हेतु श्री कृष्ण मोहन कानि. द्वारा श्रीमान् उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, बीकानेर से दो कार्मिक को लेकर समय 11.57 ए.एम. पर उपस्थिति प्रदान की गई जिनका विवरण पूछा जाने पर अपना विवरण निम्न होना बताया- 1. श्री मूलचंद नैण पुत्र श्री रुघाराम जाति

जाट, उम्र 32 वर्ष निवासी नैणों का बास, रिड़मलसर पुरोहितान, तहसील व जिला बीकानेर [redacted] हाल सहायक प्राशासनिक अधिकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक, बीकानेर-प्रथम 2. श्री प्रमोद बिश्नोई पुत्र पृथ्वीराज उम्र 31 साल निवासी पुरानी चुंगी चौकी, गजनेर रोड, बीकानेर (मो. [redacted]) हाल सहायक प्राशासनिक अधिकारी, पंजीयन एवं मुद्रांक, बीकानेर-तृतीय उपस्थित कार्मिकों से मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा किए जा रहे गोपनीय राजकार्य में स्वतंत्र गवाह बनने हेतु सहमति चाही गई तो कार्मिकगण श्री मूलचंद नैण-सहा. प्राशा. अधिकारी तथा श्री प्रमोद बिश्नोई-सहा. प्रशा. अधिकारी ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के गोपनीय राजकार्य हेतु स्वतंत्र साक्षिगण के रुप में कार्य करने हेतु सहमति प्रदान की गई। स्वतंत्र साक्षिगण का आपसी परिचय उपस्थित परिवादी श्री कान सिंह से करवाया गया। परिवादी द्वारा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में दिए गए प्रार्थना पत्र का अवलोकन साक्षिगण को करवाया जाकर मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा अब तक की गई संपूर्ण कार्यवाही की जानकारी स्वतंत्र साक्षिगण को प्रदान की गई। स्वतंत्र साक्षिगण को ट्रांसक्रिप्ट तैयार करने की कार्यवाही के संबंध में जानकारी दी गई। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा मालखाना से पीतल की सील सं. 83 कार्यवाही हेतु प्राप्त की गई तथा स्वयं की आलमारी में सुरक्षित रखे हुए कार्यवाही में प्रयुक्त डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय स्थापित मेमोरी कार्ड को निकालकर कार्यालय कंप्यूटर में कनैक्ट किया गया। समय 12.10 पी.एम. पर परिवादी व आरोपी के मध्य रिकॉर्ड दिनांक 26.07.2025 की ऑडियो की फर्द ट्रांसक्रिप्ट स्वतंत्र साक्षिगण श्री मूलचंद नैण-सहा. प्राशा. अधिकारी तथा श्री प्रमोद बिश्नोई-सहा. प्रशा. अधिकारी की उपस्थिति में परिवादी श्री कान सिंह से आवाजों की पहचान करवाई जाकर श्री राजेंद्र नाई-हैड कानि. की सहायता से जरिये फर्द तैयार की जानी प्रारंभ की गई। समय 04.10 पी.एम. तक रिश्वत मांग सत्यापन संबंधी रिकार्ड वार्ता दिनांक 26.07.2025 की ट्रांसक्रिट तैयार की जाकर समाप्त की गई। ट्रांसक्रिप्शन कार्यवाही की विस्तृत विवरण की फर्द तैयार की गई। रिकॉर्ड उक्त वार्ता की एक ऑडियो फाईल को दो पैन ड्राइव में कॉपी कर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा साक्ष्य स्वरुप दो पैन ड्राईव तैयार किये गये। एक पैन ड्राईव को एक प्लास्टिक सेफ्टी कवर में डालकर एक कपड़े की थैली में रखकर सील मोहर मार्क-A 1 अंकित किया गया। दूसरे पैन ड्राईव को एक कपड़े के टैग के साथ सील किया जाकर अन्वेषण प्रायोजनार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को लैपटॉप से अलग किया जाकर स्थापित मैमोरी कार्ड को बाहर निकालकर मूल मेमोरी कार्ड को प्लास्टिक सेफ्टी कवर मे डालकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील किया जाकर मार्क-A अंकित किया गया। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को स्वयं के पास आलमारी में सुरक्षित रखा गया। उपर्युक्त साक्ष्य प्रादर्श संख्या कुल 3 मालखाना प्रभारी श्री राजेंद्र हैड कानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाए गए। समय 04.25 पी.एम. पर परिवादी से आगामी कार्यवाही की संभावना को लेकर विचार विमर्श किया गया। परिवादी श्री कान सिंह ने स्वतंत्र साक्षिगण के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र देकर मुझ पुलिस निरीक्षक को अग्रतर कार्यवाही की संभावना से इंकार करते हुए अब तक संपन्न कार्यवाही के आधार पर आरोपी श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कांस्टेबल के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही चाही गई। उक्त प्रार्थना पत्र का उपस्थित स्वतंत्र साक्षिगण श्री मूलचंद नैण-सहा. प्राशा. अधिकारी तथा श्री प्रमोद बिश्नोई-सहा. प्रशा. अधिकारी को अवलोकन करवाया जाकर अति. पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रस्तुत किया गया व निर्देश प्राप्त किए गए। कार्यवाही में प्रयुक्त पीतल की सील नबर 83 की फर्द नमूना सील तैयार की गई व सील को तोड़कर अनुपयोगी कर नष्ट किया गया। फर्द नष्टीकरण पीतल की सील तैयार की गई। उपर्युक्त संपूर्ण कार्यवाही पश्चात् परिवादी श्री कान सिंह तथा स्वतंत्र साक्षिगण श्री मूलचंद नैण-सहा. प्राशा. अधिकारी तथा श्री प्रमोद बिश्नोई-सहा. प्रशा. अधिकारी को गोपनीयता संबंधी निर्देश प्रदान किए जाकर समय 04.50 पी.एम. पर ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान के निर्देश प्रदान किए गए। दिनांक 04.08.2025 समय 10.30 ए.एम. पर मुझ पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री कान सिंह अपने भांजे श्री कानू सिंह उर्फ कान सिंह पुत्र महा सिंह जाति राजपूत, उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नं. 7, छीला कश्मीर, तहसील बज्जु, जिला बीकानेर के साथ ब्यूरो चौकी पर उपस्थित हुआ। श्री कानू सिंह से पुलिस थाना गजनेर पर उसका मोबाइल फोन होने के तथ्यों पर पूछताछ की गई। श्री कानू सिंह द्वारा श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कांस्टेबल के पास पुलिस थाना गजनेर पर उसका मोबाइल फोन जून 2025 से जब्त होने, श्री सुरेश कुमार मीणा द्वारा फोन आदि लौटाने की ऐवज में रिश्वत मांगने व श्री स्वरुप सिंह द्वारा दिनांक 28.07.2025 को मोबाइल फोन प्राप्त कर लाने के तथ्यों के बारे में मुझ पुलिस निरीक्षक को जानकारी दी गई। श्री कानू सिंह पुत्र महा सिंह ने बताया कि मैंने मेरा मोबाइल फोन प्राप्त करने के लिए मेरे मामा श्री कान सिंह पुत्र राजू सिंह को अधिकृत किया था जिसने मुझे बताया था कि मेरे मोबाइल फोन तथा अन्य सामान को लौटाने के बदले में श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कांस्टेबल द्वारा रिश्वत मांगी जा रही है तो मैंने मेरे मामा श्री कान सिंह पुत्र राजू सिंह को श्री सुरेश कुमार मीणा के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर से कानूनी कार्यवाही करवाने के लिए कहा था। मुझ पुलिस निरीक्षक द्वारा इस संबंध में अधिकार पत्र चाहे जाने पर श्री कानू सिंह उर्फ कान सिंह पुत्र महा सिंह द्वारा श्री कान सिंह पुत्र राजू सिंह के पक्ष में टाईपशुदा एक अधिकार पत्र मुझ पुलिस निरीक्षक को प्रस्तुत किया। जिसे अवलोकन किया जाकर शामिल कार्यवाही दस्तावेज किया गया। श्री कानू सिंह उर्फ कान सिंह को मोबाइल फोन खरीद का बिल अथवा अन्य साक्ष्य के बारे में पूछे जाने पर शीघ्र ही उपलब्ध करवा देने का आश्वासन दिया गया। कार्यवाही की गोपनीयता के निर्देश दिए जाकर परिवादी श्री कान सिंह पुत्र राजू सिंह तथा श्री कानू सिंह उर्फ कान सिंह पुत्र महा सिंह जाति राजपूत, उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नं. 7, छीला कश्मीर, तहसील बज्जु, जिला बीकानेर को ब्यूरो कार्यालय से प्रस्थान की अनुमति प्रदान की गई।

इस प्रकार अब तक की संपूर्ण कार्यवाही के दौरान पाया गया कि परिवादी श्री कान सिंह पुत्र राजू सिंह जाति राजपूत, उम्र 26 वर्ष, निवासी वार्ड नं 12, मोटावतान, ग्रा.पं. गंगापुरा, तहसील कोलायत, जिला बीकानेर ने दिनांक 26.07.2025 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर पर श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कानि. 4004, पुलिस थाना गजनेर, जिला बीकानेर के विरुद्ध ट्रैप कार्यवाही हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया गया था जिसमें श्री सुरेश कुमार मीणा- हैड कानि. द्वारा एम.पी आर. सं. 11/2025 की जांच के दौरान अवैध रुप से जब्त किए हुए सामान परिवादी श्री कान सिंह की बहन श्रीमती लक्ष्मी कंवर की मोटरसाइकिल संख्या आरजे 07 एलएस 6369, परिवादी श्री कान सिंह के भांजे श्री कानू सिंह का एक मोबाइल फोन देने की ऐवज में 30,000 रुपये रिश्वत की मांग करना तथा उसके भाई श्री गणेश सिंह के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लक्ष्मी कंवर पुत्री पप्पू सिंह के पहनी हुई चांदी की पायल लेकर आने के लिए कहने के तथ्य आने पाए गए। इस पर ट्रैप प्रक्रिया प्रारंभ करते हुए दिनांक 26.07.2025 को आरोपित श्री सुरेश कुमार मीणा- हैड कानि. द्वारा की जा रही रिश्वत मांग का सत्यापन परिवादी के माध्यम से करवाया जाने पर परिवादी द्वारा घबराहट में ठीक प्रकार से वार्ता न करने के कारण रिश्वत की मांग अस्पष्ट प्रकार की, वार्ता में परिवादी के लंबित कार्य के संबंध में स्थिति अस्पष्ट, परिवादी के बताए अनुसार आरोपी द्वारा सत्यापन वार्ता के दौरान मोबाइल फोन लौटाने की ऐवज में "तीन तो दे" कहकर 3000 रुपये परिवादी से प्राप्त करना परंतु आलमारी की चाबी न होने के कारण श्री कान सिंह को मोबाइल फोन सुपुर्द नहीं करना पाया गया। इसके अलावा अन्य पक्ष के लिए पायल लौटाने संबंधी बातें की गई तथा मोटरसाइकिल छोड़ने के बारे में भी आरोपित ने बिना लाईसेंस चालान जुर्माना आदि बातें परिवादी से कही गई। इस पर अस्पष्ट तथ्यों पर पुनः सत्यापन हेतु दिनांक 27.07.2025 तथा 28.07.2025 को परिवादी श्री कान सिंह को पुलिस थाना गजनेर भेजा गया। दिनांक 27.07.025 को आरोपित श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कानि. द्वारा परिवादी को मोबाइल कॉल पर चाबी नहीं मिल पाने की बात बताते हुए मोबाइल फोन लेने के लिए आने से मना किया गया। परंतु दिनांक 28.07.2025 को परिवादी द्वारा आरोपित से श्री सुरेश कुमार मीणा- हैड कानि. से संपर्क किए जाने पर उसका मोबाइल फोन बंद मिला। श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कानि. द्वारा अन्य मोबाइल नंबर से परिवादी के जीजा श्री स्वरुप सिंह से संपर्क कर पुलिस थाना गजनेर पर बुलाया जाकर मोटरसाइकिल तथा मोबाइल फोन सुपुर्द किए व दस्तावेजों पर अंगूठा निशान प्राप्त किए गए। श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कानि. द्वारा स्वरुप सिंह को 5-7 दिन के लिए थाने से बाहर जाने की बात बताई गई। अग्रतर कार्यवाही की संभावना नहीं होने पर परिवादी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाकर श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कानि. के विरुद्ध अब तक की कार्यवाही के आधार पर कानूनी कार्यवाही चाही गई। इस प्रकार श्री सुरेश कुमार मीणा-हैड कानि. 4004, पुलिस थाना गजनेर, जिला बीकानेर द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान मोबाइल फोन देने की ऐवज में रिश्वत की मांग करते हुए परिवादी से 3000 रुपये प्राप्त किया जाना, पुलिस थाना गजनेर पर लंबित प्रकरण में अन्य पक्ष के लिए पायल की मांग करना, परिवादी द्वारा मोटरसाइकिल लौटाने हेतु निवेदन करने पर चालान जुर्माना आदि की बात करना तत्पश्चात् आरोपित द्वारा किसी प्रकार के संदेह के दृष्टिगत परिवादी से संपर्क न किया जाकर परिवादी के जीजा श्री स्वरुप सिंह को थाने पर बुलाकर बिना चालान राशि प्राप्त किए मोटरसाइकिल व मोबाइल फोन उनको लौटा दिए जाने का आरोपित का उपर्युक्त कृत्यों से अपराध अंतर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) के तहत प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उक्त आरोपित श्री सुरेश कुमार मीणा पुत्र श्री मनीराम मीणा, उम्र 37 वर्ष निवासी चक 2 डीएसएम, गांव व पोस्ट खारबारा तहसील छतरगढ, जिला बीकानेर वर्तमान पद- हैड कानिस्टेबल 4004, पुलिस थाना गजनेर, जिला बीकानेर के विरूद्ध उपरोक्त धारा में बिना नंबरी एफआईआर पंजीयन एवं क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज. जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। (आनन्द मिश्रा) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन वर्ष 2018) में आरोपी श्री सुरेश कुमार मीणा पुत्र श्री मनीराम मीणा, उम्र 37 वर्ष निवासी चक 2 डीएसएम, गांव व पोस्ट खारबारा तहसील छतरगढ, जिला बीकानेर हाल हैड कानिस्टेबल 4004, पुलिस थाना गजनेर, जिला बीकानेर के विरुद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री जय कुमार नायक, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 47 पर अंकित है।(पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1459-62 दिनांक 03-10-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। 3- पुलिस अधीक्षक जिला बीकानेर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** jai kumar nayak **Rank (पद):** निरीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):
No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :
or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,I[illegible]
Date: 0[illegible]0/2025 1[illegible]22

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताऐं, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	14/04/1988				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताऐं)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)